

एक सुदूर राह - अमरक सत्यम्

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

याचिका संख्या. 409 / टीएल / 2019
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप धारा (5)

दिनांक : 30.12.2019

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए "गुजरात में आई अंतःक्षेपणों के कारण गुजरात अंत-राज्यिक प्रणाली में अवलोकित ओवर लोडिंग से राहत के लिए पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-21 (इन्फ्यूआरएसएस-21) भाग क-पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण" के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए इन्फ्यूआरएसएस XXI (क) ट्रांसको लिमिटेड, सी-106, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 द्वारा आवेदन किया गया है।

खत
लिए
in
न

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	मूला. करने का लक्ष्य
1.	765 केवी (1X330 एमवीएआर) और 420 केवी (1X125 एमवीएआर) बस रिपेक्टर सहित लकडिया पीएस, 2X1500 एमवीए, 765 / 400 केवी की स्थापना • 2X1500 एमवीए, 765 / 400 केवी • 400 केवी आईसीटी बे-2 • 765 केवी आईसीटी बे-2 • 400 केवी लाइन बे-4 • 765 केवी लाइन बे-2 • 1X330 एमवीएआर, 765 केवी • 1X125 एमवीएआर, 420 केवी • 765 केवी रिपेक्टर बे-1 • 420 केवी रिपेक्टर बे-1 • 1X500 एमवीए, 765 / 400 केवी, 1-पीएच (स्पेयर यूनिट) • आईसीटी (स्पेयर यूनिट) • 1X110 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिपेक्टर (साथ-साथ भाग-क के अधीन 1X330 एमवीएआर बस रिपेक्टर और पार्ट-ख के अधीन लकडिया-वडोदरा लाइन पर 1X330 एमवीएआर लाइन रिपेक्टर दोनों के लिए।	मूला. करने का लक्ष्य दिसंबर 2020
	भावी प्राक्धान: के लिए स्पेस: (i) 765 / 400 केवी आईसीटी बेज सहित: 2 नं. (ii) 400 / 220 केवी आईसीटी बेज सहित: 8 नं. (iii) 765 केवी लाइन बेज: 8 नं. (iv) 400 केवी लाइन बेज: 8 नं. (v) 220 केवी लाइन बेज: 6 नं. (vi) 765 केवी बस रिपेक्टर बेज सहित: 1 नं. (vii) 400 केवी बस रिपेक्टर बेज सहित: 1 नं.	
	लकडिया पीएस में मचाऊ-ईपीजीएल 400 केवी डी / सी (ट्रिपल) लाइन का लीलो	
	गुजरात पीएस-लकडिया पीएस 765 केवी डी / सी लाइन के लिए गुजरात पीएस में 765 केवी बेज का 2 नं.	

आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आईसीटी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 951.29 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रमारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।

केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापित प्रदान करने की सिफारिश की है।

कोई पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 409 / टीएल / 2019 में दिनांक 27.12.2019 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 के आवेदन का प्रस्ताव किया है।

इन्फ्यूआरएसएस XXI (क) ट्रांसको लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुज्ञापित के लिए आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.anitransmission.com में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापित प्रदान करने के लिए प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 13.1.2020 तक आयोग के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आयोग के कार्यालय में विचार नहीं किया जाएगा।

आयोग के कार्यालय पर आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

आयोग के कार्यालय में सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में शामिल नहीं किया जाएगा।

आयोग के कार्यालय से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई भी निर्देश दिया जाएगा।

हो / -
(गीतू जोशी)
प्रमुख (अर्थशास्त्र)